



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022020-216184  
CG-DL-E-15022020-216184

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]  
No. 103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सं. 14/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 121(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद् द्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. - (1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में, विनियम 15 में;  
क. उप-विनियम (1) में, अभिव्यक्ति "इन विनियमों के लागू होने की तारीख से पैंतालिश दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "15 मई, 2020 से लेकर 1 अगस्त, 2020" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख. उप-विनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर “16 फरवरी, 2020” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “1 अगस्त, 2020 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/58/2015-सीमाशुल्क-IV]

गौरव सिंह, उप सचिव (कर अनुसंधान एकक)

**टिप्पणी:** इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448(अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 78/2019-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2019, सा.का.नि. 819(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2020

**No. 14/2020-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 121(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (Amendment) Regulations, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, in regulation 15:
  - a. in sub-regulation (1), for the expression, “for the period of forty-five days from the date of commencement of these regulations”, the expression, “from 15<sup>th</sup> May, 2020 till 1<sup>st</sup> August, 2020” shall be substituted;
  - b. in sub-regulation (2), for the words, figures and letters “16th February, 2020”, the words, figures and letters “till 1<sup>st</sup> August, 2020” shall be substituted.

[F. No. 450/58/2015-Cus-IV]

GAURAV SINGH, Dy. Secy. (Tax Research Unit)

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 448(E), dated the 11<sup>th</sup> May, 2018 and were last amended *vide* notification No. 78/2019-Customs (N.T) dated the 31<sup>st</sup> October, 2019 *vide* number G.S.R. 819 (E), dated the 31<sup>st</sup> October, 2019.